भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 257*

दिनांक 20 मार्च, 2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश व्यापार नीति

*257. श्री पी० सी० गद्दीगौदरः
श्री नलीन कुमार कटीलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 2015 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं और विदेश व्यापार नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के रुख को समझने के लिए विदेश व्यापार नीति की समीक्षा करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समीक्षा का निष्कर्ष क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए उक्त विदेश व्यापार नीति में संशोधन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ड.) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

''विदेश व्यापार नीति'' के संबंध में दिनांक 20 मार्च, 2017 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 257 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) जी, हां। सरकार ने विगत विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के स्थान पर दिनांक 01.04.2015 को विदेश व्यापार नीति, 2015–20 की घोषणा की है।

(ख) नइ पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति, 2015–20 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के ''मेक इन इंडिया'' के सपने के अनुरुप देश में माल एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन तथा मूल्य संवर्धन में वृद्वि करने के लिए एक रुपरेखा दी गई है।

'व्यापार करने की सुगमता' बढ़ाने पर विशेष बल देते हुए सरकार का फोकस विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने पर है। विदेश व्यापार नीति 2015–20 में पूर्व की बहुतायत स्कीमों के स्थान पर पात्रता और उपयोग की भिन्न–भिन्न शर्तों के साथ दो नई स्कीमें अर्थात् विनिर्दिष्ट बाजारों को विनिर्दिष्ट माल के निर्यात के लिए'' भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस)'' और अधिसूचित सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए'' भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)'' लागू की गई है। इन स्कीमों के तहत जारी किसी स्क्रिप के लिए कोई नियमबद्धता नहीं होगी। एमईआईएस और एसईआईएस के तहत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप तथा इन स्क्रिपों के विरुद्ध आयातित माल पूर्णत हस्तांतरणीय है।

ईपीसीजी स्कीम के तहत विशिष्ट निर्यात दायित्व को सामान्य निर्यात दायित्व के 75% तक कम करके स्वदेशी विनिर्माताओं से पूंजीगत माल की प्राप्ति को आगे बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। इससे स्वदेशी पूंजीगत माल के विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे लचीलेपन से निर्यातकों को स्थानीय और वैश्विक दोनों खपत के लिए अपनी उत्पादक क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलेगी।

रक्षा तथा उच्च तकनीक मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं। इसके साथ–साथ कुरियर या विदेशी डाकघर के माध्यम से हथकरघा उत्पादों, पुस्तकों/पत्र–पत्रिकाओं, चमड़े के जूते, खिलौने तथा विशिष्ट रुप से निर्मित फैशन परिधानों के ई–कामर्स निर्यात को भी एमईआईएस (25,000 भारतीय रु० तक के मूल्य तक) का लाभ मिल सकेगा। इन उपायों से न केवल इन क्षेत्रों में हमारी क्षमता का लाभ लेने और निर्यात बढ़ाने में लाभ मिलेगा बल्कि इससे रोजगार भी उपलब्ध होगा।

एसईजेड से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एसईजेड में स्थित यूनिटों को दोनों प्रतिफल स्कीमों (एमईआईएस और एसईआईएस) का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रौद्योगिकी अंतरण तथा लाभप्रद रोजगार दोनों के लिए विनिर्माण क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

व्यापार सरलीकरण तथा व्यापार करने की सुगमता मे वृद्धि करना इस विदेश व्यापार नीति के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। कागजरहित प्रॉसेसिंग की ओर आगे बढ़ने की हमारी कोशिश और प्रतिबद्धता रही है। हमने निर्यात और आयात के लिए अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या को घटाकर तीन कर दिया है जो अन्तर्राष्ट्रीय बेंचमाको के तुलनीय है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय 'निर्यात बंधु स्कीम' के द्वारा नए और संभावित निर्यातकों को संरक्षण देता रहेगा। ''स्किल इंडिया'' के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस स्कीम को प्रेरित और पुनर्स्थापित किया गया है।

(ग) तथा (घ) : विदेश व्यापार नीति, 2015–20 की मध्यावधि समीक्षा चल रही है। मध्यावधि नीतिगत समीक्षा के लिए शीर्ष व्यापार निकायों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा पण्य बोर्डों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें चल रही हैं। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों से भी टिप्पणियां आर विचार प्राप्त किए जा रहे हैं।

(ड.) सरकार व्यापार निकायों/निर्यातकों आदि से प्राप्त इनपुटों/अनुरोधों के आधार पर अधिसूचनाओं और सार्वजनिक सूचनाओं के द्वारा समय–समय पर विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को संशोधित करती रही है। ऐसे संशोधनों/परिवर्तनों का ब्यौरा सार्वजनिक रुप में अर्थात् www.dgft.gov.in पर उपलब्ध है।

****